# FORM No. III

APP-A
Crim-I

## फर्द अहकाम
### (नियम 26)

ज अदालत.................................................मुकाम.................................................

...............................................पंचायत......बनाम...दौलतराम.......................................

किस्म मुकदमा.........................................................नं. ......................सन्..................

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की किस तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 3-7-2024 | पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किये गये परिवाद में उन पर लगाये गये आरोपों को जांच रिपोर्ट के अनुसार स्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि भविष्य में अप्रार्थी इस तरह की कोई गलती नहीं करेंगे। पत्रावली का अवलोकन किया गया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी द्वारा आमजन में **अवमानक (sub standard) शुद्व घी (नोवा) मूल गत्ता पैक का विकय करना पाया गया।** अप्रार्थी ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2)(II) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है। उपरोक्त प्रावधान का मध्येनजर रखते हुए अप्रार्थी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है, चूंकि अप्रार्थी द्वारा उन पर लगाये गये आरोपों को स्वीकार करने एवं उन पर लगाये गये आरोपों की भविष्य में पुनरावृति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया गया है। अतः 1. **श्री दौलतराम पुत्र श्री मूलचन्द उम्र 70 वर्ष, जाति–पारेता, निवासी–नगरपालिका के पास, गेंता रोड, इटावा, कोटा (विकेता) मैसर्स– हरिश किराना स्टोर मेन मार्केट, गेंता रोड़, इटावा कोटा,** पर 5000/– रूपये (अक्षरे पांच हजार रूपये) 2. **श्री महेन्द्र पारेता पुत्र श्री प्रहलाद पारेता निवासी–1268, मोती कुंआ के पास, वार्ड नम्बर 11, इटावा, कोटा (विकेता एवं मालिक) मैसर्स– महेन्द्र ट्रेडिंग कम्पनी मेन मार्केट, इटावा, कोटा** पर 10000/– रूपये (अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ती आरोपित की जाती है। अप्रार्थी प्रतिपक्षीगण आरोपित शास्ती राशि जमा राज कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की प्रति आवेदक जर्ये **चन्द्रवीर सिंह जादौन** खाद्य सुरक्षा अधिकारी को भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दायर रजिस्टर के नम्बर से कम होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।<br><br>(हस्ताक्षर)<br>अति0 जिला कलेक्टर<br>कोटा | महेन्द्र पारेता<br>दौलतराम |